

मूल्यांकन वर्ष 2018-19 से पहले के वर्षों के लिए फॉर्म संख्या 10ख दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा

परिपत्र संख्या 7/2021 [एफ.सं. 197/49/2021-आईटीए-1], दिनांक 26-3-2021

बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि छूट शुल्क विभाग को निर्धारण वर्ष 2018-19 से पूर्व के वर्षों के लिए फॉर्म 10ख दाखिल करने में विलंब की क्षमा हेतु लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. उपरोक्त के मद्देनजर, परिपत्र संख्या 28/2019 दिनांक 27-9-2019 को परिपत्र संख्या 10/2019 दिनांक 22-5-2019 के साथ आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, परिपत्र संख्या 10/2019 के पैरा 4(ii) के अंतिम वाक्य को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी लंबित आवेदनों के साथ-साथ अब से प्राप्त आवेदनों का निपटारा, अधिमानतः उस माह के अंत से तीन माह के भीतर किया जाएगा जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है।"

3. यह संशोधन 31 मार्च, 2021 से प्रभावी होगा।

■ ■